न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 10/2021

1. फज्जर
2. निज्जर पिसरान खखौली जाति मेव निवासी ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी (भरतपुर)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पहाडी (भरतपुर)

अप्रार्थी

2. साबिर पुत्र खखौली जाति मेव निवासी ग्राम कैथवाडा तहसील पहाडी
3. महजूबन पत्नि मम्मल पुत्री खखौली जाति मेव निवासी झारपरी तहसील फिरोजपुर झिरका हरियाणा।
4. मकसूदन पत्नि मूसा पुत्री खखौली जाति मेव निवासी जुरहरा तहसील कामाँ भरतपुर

तरतीवी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, 136 एल0आर0 एक्ट

1. श्री प्रमोद शर्मा वकील प्रार्थीगण

दिनांक :–14/09/2022

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, 136 एल0आर0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी साविक खसरा नम्बर 1491 मिन/1.40 नये खसरा नम्बर 1949/0.51, 1950/0.36, 1951/0.53 हैक्टर बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है आराजी खसरा नम्बर 1950/0.36 का खातेदार प्रार्थी व तरतीवी प्रतिवादीगण का पिता है जो फौत हो चुका है । विरासत का दाखिल खारिज अभी नहीं खुला है प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीगण विधिक वारिसान है इसलिए प्रार्थना पत्र वारिसानों द्वारा पेश किया जा रहा है। आराजी साविक खसरा नम्बर 1491 मिन/1.40 जिसके नये खसरा नम्बर 1949/0.51, 1950/0.36, 1951/0.53 हैक्टर पर हमारा पिता 1950/0.51 पर समयदीन वगैराह काबिज काश्त है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा पुराने खसरा नम्बर 1491 मिन/1.40 जिसके नये खसरा नम्बर 1949/0.51, 1950/0.36, 1951/0.53 हैक्टर बनाये गये है जिनका नये नम्बरों में हम प्रार्थीगण के खसरा

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 1950/0.36 की तरमीम बिना मौका व कब्जा देखे की गई है। खसरा नम्बर 1950 को हाल खसरा नम्बर 1951 गैर मुमकिन पोखर में दर्शा रखा है जो मौका व कब्जा के विपरीत है जबकि हमारा खसरा नम्बर 1950 खसरा नम्बर 1951 के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 1952, 1953 से लगता हुआ है। जबकि हमारे खसरा नम्बर 1950 को गैर मुमकिन पोखर में दर्शा रखा है। सैटल मेन्ट विभाग को पुराना नक्शा व मुताबिक कब्जा नया नक्शा निर्मित करना चाहिए था। ऐसा ना करके सैटलमेन्ट विभाग द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत कार्य किया है। उक्त नवीन खसरा नम्बरों के नक्शा ट्रेस दिनांक 01/02/2021 को लेने पर हम प्रार्थीगण को जानकारी में आया। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सैटलमेन्ट विभाग द्वारा तैयार किये गये नये नक्शे में हाल मौका कब्जानुसार हम प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1950/0.36 को गैरमुमकिन पोखर की जगह से हटाकर पूर्व की भांति कब्जानुसार खसरा नम्बर 1951/0.53 के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 1952, 1953 से लगता हुआ दर्शाकर संशोधित किया जावे व खसरा नम्बर 1951 को खसरा नम्बर 1950 के पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 1940 की तरफ लगता हुआ दर्शाकर शुद्ध किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आये मौका पर्चा रिपोर्ट इस आशय का पेश किया कि ग्राम कैथवाडा के आराजी खसरा नम्बर 1950, 1951, के मौके पर पहुंचा जिसकी बिन्दुबार रिपोर्ट निम्नानुसार है :–

1. मुताबिक जमाबन्दी हाल सम्वत 2075 से 2078 आराजी खसरा नम्बर 1950/0.36 किस्म सैराबी प्रथम खखौली पुत्र फूलू जाति मेव एवं 1951/0.53 किस्म गैरमुमकिन पोखर राजकीय खाते में दर्ज रिकॉर्ड है।
2. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल आराजी खसरा नम्बर 1950, 1951 पूर्व दिषा में एक ही खसरा नम्बर 1491 के हिस्सा थे। हाल खसरा नम्बर 1950/0.36 , 1951/0.53 साविक खसरा नम्बर 1491 मिन/0.36, 1491मिन/0.53 हैक्टर।
3. मुताबिक मौका खखौली पुत्र फूलू के कब्जे काश्त आराजी खसरा नम्बर 1950 पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 1952, 1953 के लगता हुआ है। व पोखर पष्चिम दिशा में स्थित है।

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया।

हमने बहस पर मनन किया, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब/मौका पर्चा रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण नक्शा शुद्धि का है। आराजी साविक खसरा नम्बर 1491 मिन/1.40 नये खसरा नम्बर 1949/0.51, 1950/0.36, 1951/0.53 हैक्टर बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 1950/0.36 प्रार्थी एवं 1951/0.53 किस्म गैरमुमकिन पोखर राजकीय खाते के नाम दर्ज है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल आराजी खसरा नम्बर 1950, 1951 पूर्व दिशा में एक ही खसरा नम्बर 1491 के हिस्सा थे। मुताबिक रिकॉर्ड खसरा नम्बर 1950 को हाल खसरा नम्बर 1951 के पश्चिम दिशा में दर्शाया हुआ है। जबकि मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट खसरा नम्बर 1950 खसरा नम्बर 1951 के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 1952, 1953 से लगता हुआ है। इस प्रकार नक्शे की स्थिति विपरीत है। वर्तमान नक्शे में बन्दोबस्त विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1951/0.53 के पश्चिम की ओर खसरा नम्बर 1950/0.36 को दर्शाया है। वर्तमान नक्शे में बन्दोबस्त विभाग द्वारा नया नक्शा निर्मित करते समय मौके का निरीक्षण नहीं किया गया और नवीन नक्शे में दोनो खसरा नम्बरो को आपस में कब्जे के विपरीत दर्शा दिया है। इस तथ्य पर अप्रार्थी तहसीलदार पहाड़ी को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शा तरमीम करते समय भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। मुताबिक मौका स्थिति के खसरा नम्बर 1951/0.53 को खसरा नम्बर 1950/0.36 के पश्चिम की ओर दर्शाया जावे। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 13.04.2022 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 14/09/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner